भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1769

जिसका उत्तर 29.07.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपास और सड़क ऊपरी पुल

1769. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री अरविंद सावंतः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र से बाईपास, सड़क उपरि पुलों (आरओबी) या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) बाई-पासों और आरओबी का निर्माण आम तौर पर पूरी परियोजना लंबाई पर यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में किया जाता है। वार्षिक योजना 2020-21 के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त रारा-548 बी पर चार लेन का परली बाईपास के निर्माण का एक प्रस्ताव के लिए 60.23 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्टैंडअलोन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक बाईपास और आरओबी के लिए निधियों के आवांटन का संबंध है, परियोजनावार निधि का आवंटन नहीं किया जाता है और एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के लिए कुल आवंटन में से निधियां जारी की जाती है।